

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक/९६०

स्था/प्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक 10/06/2016


कार्यालय आदेश

खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अनुसार उद्योगों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण संबंधित क्षेत्र के प्रभारी द्वारा किया जा रहा है ।

उक्त नियमों के अन्तर्गत इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, रिसायकलिंग पासबुक, अन्तरराज्यीय अनुमति, परिसंकटमय अपशिष्ट से संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से समन्वय एवं पत्राचार संबंधी कार्यों हेतु निम्नानुसार खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन सेल का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1. श्री एच.एस.मालवीय, अधीक्षण यंत्री
2. डॉ० सुनील सुधाकरण, वैज्ञानिक
3. श्री अब्दुबहाव कुरैशी, निश्रेलि

श्री अब्दुल बहाव कुरैशी सेल के अन्तर्गत आने वाली समस्त पत्रों का संबंधित नस्त्रियों में संघारण करेंगे तथा नस्त्रियों का प्रस्तुतीकरण संबंधी कार्य श्री अब्दुल बहाव कुरैशी डॉ० सुनील सुधाकरण, वैज्ञानिक के माध्यम से अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत करेंगे ।


(P. P. मिश्रा)
सदस्य सचिव
भोपाल, दिनांक

पृ०क्रमांक

स्था/प्रनिबो/2016

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त शाखा प्रभारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ ।
3. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. आईटी शाखा/ऑर्डर बुक/गार्ड नस्त्र ।